

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु. नं. 141


ता. 2 नू 7-12-16

उन्वान - रामहरि बनाम मुंशी केके

दावा - लकाहमा एवं ह्यापी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा A.W. ने दावा  
काबल लकाहमा एवं ह्यापी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया।

अवलोकन किया। दावा दर्ज रजिस्ट्रार का उतिवादीगण 3767-80  
को सम्मान जारी कर तलब किया जाकर दिनांक 8-12-16  
19-12-16 को पेश हो।

  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करोली)

19-12-16

वादी वकील उपस्थित। उतिवादी नं. 1, 2 की ओर  
से श्री सुरेश चंद शर्मा A.W. ने उपस्थित दर्ज कर्डी  
वकालतनामा पेश करने का रूपन किया। उतिवादी नं.  
3 ता. 15 के सम्मान विधिवत तालीम हो चुके हैं। बापूद  
सूचना उपस्थित नहीं है उनके खिलाफ एक पक्षीप  
कार्रवाई की जाती है पेश करने वकालतनामा एवं  
जब्तब दिनांक 16-1-17 को पेश हो।

उतिवादी नं. 1, 2 की  
को एक उपस्थित  
क) प्रत्यक्ष

वकुलाय उप० / जत्रानुसार दिनांक 15-2-17 को पेश  
हो।

वकुलाय उप० / उतिवादी वकील ने 1, 2 की ओर से वकालत  
नामा पेश किया। मांगे लक्ष्मि सल रहे। 10 लाख मितिग अपेक्षे  
हीवाते अग्रिम आदेश दिनांक 16-3-17 को पेश हो।

# यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

16.4.18 वकुलाय उपण/ वादी वकीलने प्रतिवादी  
 नं. 12 खाज्या के फौत हो जाने से दर. 022 R.4  
 Cpe घेश कले का कथन कर समय-बाहा P.O. सा.  
 चुनाव कार्य से करौली पधारे छे बाहेत अगिम  
 आदेश दिनांक 10.6.18 को घेश होय

10.6.18

वकुलाय उपण/ वकील उग्रपक्ष ने दर. खाज्या  
 कथन किया कि दूसरे मुकदमे उनवानी मुंशी काम  
 रामहीर मु. नं. 91/16 मे संशोधित टाइटल दर. खाज्या  
 का का पेश करि के दोनो प्रकारों मे समय-बाहा  
 ई परका समान छे दोनो प्रकारों को एकसाथ  
 का प्राथमिक डिडी करमा दिया जेबा यह प्रकार  
 मुकदमा नं. 91/16 उनवानी मुंशी काम रामहीर के  
 मे हमफिता किया गला छे दोनो प्रकारों मे  
 एक ही नियम से प्राथमिक डिडी किये गते छे  
 विस्तृत निर्णय पृष्ठ संख्या लिखाका शांति न किया  
 गारु

मैस प्र. नं. 32  
 प्रिया पत्रिका  
 10/6/18  
 (2) रामजी

उपजिला कलेक्टर  
 टोडाभीम (करौली)